

दिनांक-26.02.2021 को संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में पुरानी स्लीपर बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीकरण एवं सम्प्रति प्रभावी करारोपण अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति: संलग्न विवरणी अनुसार।

पुरानी स्लीपर बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीकरण एवं सम्प्रति प्रभावी करारोपण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक-26.02.2021 को अपराह्न-04:00 बजे से संयुक्त परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई है।

सम्प्रति झारखण्ड राज्य में झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुरूप करो का उदग्रहण किया जा रहा है। यात्री परिवहन वाहनों को पथकर भुगतान वाहनों के वर्गीकरण के अनुसार किया जाना है, परन्तु यह संज्ञान में लाया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व से निबंधित स्लीपर बसों का वर्गीकरण एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीकरण नहीं हो रहा है।

इस संबंध में परिवहन आयुक्त के ज्ञापांक-942, दिनांक-30.05.2019 एवं ज्ञापांक-1555, दिनांक-03.09.2019 के द्वारा वाहन स्वामियों को बसों के वर्गीकरण करते हुए पथकर जमा करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु काफी कम वाहन स्वामियों के द्वारा ही स्वयं बसों का वर्गीकरण करते हुए कर भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्त के संबंध में उपस्थित मोटरयान निरीक्षकों से परिचर्चा के क्रम में बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-G.S.R. 905(E), दिनांक-23.09.2016 के आलोक में स्लीपर बसों का बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनमें वर्णित यानों के लिए परीक्षण और अनुमोदन एआईएस-119 के अनुसार होगा तथा अधिकृत बॉडी बिल्डर से निर्गत किये गये फार्म-22B संलग्न किया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत निम्न निष्कर्ष पाये गये हैं :-

1. पुरानी स्लीपर बसों को अधिकृत बॉडी बिल्डर से निर्धारित मानकों के विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप बॉडी का पुनः निर्माण/आवश्यक परिवर्तन कराया जायेगा।
2. अधिकृत बॉडी बिल्डर द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बॉडी निर्माण करने संबंधी फार्म-22B निर्गत किया जायेगा तथा वाहन स्वामियों द्वारा उक्त बसों का वर्गीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन संबंधित मोटरयान निरीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा।

3. पुरानी स्लीपर बसों के मोटरयान निरीक्षक द्वारा वर्गीकरण के पश्चात् झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रभावी होने की तिथि से वास्तविक कर का उद्ग्रहण किया जायेगा।

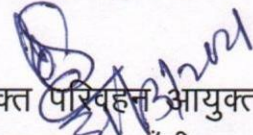
अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।


संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-परि०वि०(नियम)-42/2018 323

/राँची, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित मोटरयान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।